न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) प्रकरण, राजसमंद

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा शर्मा, RJS (DJ Cadre)

निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या – 131 सन् 2023

(CIS No. 159/2022)

भूरालाल पिता रामलाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी धोइन्दा, पुलिस थाना कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

––पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, राजसमन्द।

–– गैर पुनरीक्षणकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश डॉ. ऋचा चायल (आर.जे.एस.) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद जो कि अंतिम प्रतिवेदन संख्या 45/2015, एफ.आई.आर नंबर 183/2015 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 13.07.2022 को पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री सम्पतलाल लढ्ढा – अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. राजस्थान राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।

आदेश **दिनांक : 25.03.2026**

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता श्री भूरालाल ने विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या 45/2015, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2015 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 13.07.2022 को पारित आदेश से व्यथित होकर दिनांक 12.10.2022 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अंतरित होकर दिनांक 31.05.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि निगरानीकर्ता ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित कर दिया कि

निगरानीकर्ता/परिवादी से आरोपी ने कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन 4,000/– रूपये प्रतिमाह किराये पर प्राप्त किया था, जिसकी बकायदा लिखापढ़ी भी स्टाम्प पर की गयी, जिसे निगरानीकर्ता/परिवादी ने संदेह रहित प्रमाणित किया किन्तु कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन आरोपी के द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी को लौटाने का कोई प्रमाण नहीं होने पर भी एवं अमानत में खयानत साबित होने पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने एफ. आर. मंजूर कर ली, जो कि विधिक त्रुटि है। निगरानीकर्ता/परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में तायदी बयान भी दिए हैं। यदि निगरानीकर्ता/परिवादी ने मांगता राशि 1,44,000/– रूपये के पेटे अभियुक्त से 75,000/– रूपये के चैक्स प्राप्त कर लिए तो यह नहीं माना जा सकता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने 75,000/– रूपये के चैक्स ही क्यों प्राप्त किए एवं 1,44,000/– रूपये के चैक्स प्राप्त क्यों नहीं किए? पुलिस तफ्तीश के समक्ष आरोपी द्वारा दिए गए बयान विरोधाभाससी है, जिन्हें इस स्टेज पर नहीं देखा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसकी विवेचना विधिसम्मत तरीके से नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अंत में निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को अपास्त करने एवं अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं :–

(i) 2002 (2) PLJR 28 [M.K. Agrawal Vs. State of Bihar]
(ii) AIR 1951 Punjab 103 [The State Vs. Jage Ra]
(iii) AIR 1956 Rajasthan 20 [The State Vs. Meethalal]
(iv) 1995 Cri L.J. 350 [S. Muthu Kumar Vs. The State]
(v) 2003 Cri L.J. 1349 [Ashok Kumar Kejriwal Vs. State of Jharkhand]
(vi) 2014 (1) ALD (Cri) [Kusuma Lokanadham Vs. State of Andhra Pradhesh and anr.]

4. इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित एवं सही आक्षेपित

आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से सही एवं तर्कसंगत है। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी भूरालाल द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं उसके बयानों के अवलोकन से जाहिर आता है कि मुख्य रूप से विवाद कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन की बकाया किराया राशि 1,44,000/– रूपये को लेकर है, जिसके संबंध में परिवादी की ओर से इकरारामा की प्रति भी पेश की गई है और इस संबंध में उसने अपने परिवाद व बयानों में भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन 4,000/– रूपये प्रतिमाह किराये पर प्राप्त कर स्टाम्प पर लिखापढ़ी की, जिसके किराये पेटे समय–समय पर कुल 85,000/– रूपये की राशि चुकाई एवं उक्त तीन वर्षों से कुल किराये की 1,44,000/– रूपये राशि बकाया है, जिसकी एवज में आरोपी भगवतसिंह ने निगरानीकर्ता/परिवादी को 75,000/– रूपये के तीन चैक दिए, जो अनादरित हो गए, जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों के मध्य कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन की किराया राशि को लेकर विवाद है। इस संबंध में **धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता** का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार –

> ***छल*** *– जो कोई व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होना सम्भाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है।*

7. आरोपी भगवतसिंह द्वारा निगरानीकर्ता से उक्त कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन किराये पर लिए जाने से पूर्व किसी प्रकार की कोई प्रवंचना की हो और उसे कपटपूर्वक एवं बेईमानी से उक्त कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन देने के लिए उत्प्रेरित किया हो, ऐसा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या जाहिर नहीं आता है। कम्प्रेशर मय ड्रिल मशीन किराये पर लिए जाते समय आरोपी भगवतसिंह का आशय परिवादी के साथ धोखाधड़ी कारित किया जाना हो, ऐसा भी साक्ष्य से जाहिर नहीं आता है। स्वयं स्वीकृत रूप से आरोपी भगवतसिंह द्वारा उक्त कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन के किराये पेटे समय–समय पर 85,000/– रूपये की राशि चुकाई गई है एवं शेष बकाया राशि 1,44,000/– रूपये के संबंध में आरोपी भगवतसिंह द्वारा निगरानीकर्ता को 75,000/– रूपये की राशि के तीन चैक भी दिए गए, जो अनादरित हो गए, जिनकी कार्यवाही निगरानीकर्ता द्वारा पृथक से की गई, जिससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन की किराया राशि को लेकर विवाद होकर प्रकरण पूर्ण रूप से सिविल नेचर का दर्शित होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी भगवतसिंह द्वारा बेईमानीपूर्वक आशय से उसे किराये पर दी गई कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया गया हो। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण में आरोपी भगवतसिंह को निगरानी याचिका में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, ऐसी दशा में यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी द्वारा उक्त कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन परिवादी को लौटायी गयी अथवा नहीं। अनुसंधान अधिकारी ने अपने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् ऐसा निष्कर्ष नहीं दिया है कि आरोपी भगवतसिंह ने परिवादी को उक्त कम्प्रेशर मय ड्रील मशीन नहीं लौटायी। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में उचित रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उचित एवं विधिसम्मत आदेश दिनांक 13.07.2022 पारित किया है।

8. उल्लेखनीय है कि निगरानी का दायरा अत्यंत ही सीमित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की अवैधता, अनिश्चितता एवं अशुद्धता किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है

और जब तक विचारण न्यायालय का आदेश प्रकटतः अवैध, अशुद्धत अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से परे नहीं हो तब तक उसमें निगरानी की अधिकारिता के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं, वे तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

9. परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

आ दे श

10. अतः निगरानीकर्ता/परिवादी भूरालाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या 45/2015, एफ.आई.आर नंबर 183/2015 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 13.07.2022 को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को लौटा दी जावे।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द

11. यह आदेश आज दिनांक **25.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द